"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (60).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/01/2013/वाक/पांच (01) दिनांक 08-01-2013, तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/01/2013/वाक/पांच (02) दिनांक 08-01-2013 में अंक "31-08-2013" के स्थान पर अंक "15-09-2013" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (60), दिनांक 29-8-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th August 2013

NOTIFICATION

No. F-10-01/2013/CT/V (60).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub- section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, the following amendment :-

AMENDMENT

In Notification No. F-10/01/2013/CT/V (01) dated 08-01-2013, and Notification No. F-10/01/2013/CT/V (02) dated 08-01-2013, for the figure "31-08-2013" the figure "15-09-2013" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (61).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यापारी को नीचे दिये गये कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन, कॉलम (2) में वर्णित अवधि के लिये छूट प्रदान करती है, यथा :-

अनुसूची

नियम जिसके क्रियान्वयन से छूट दी गई (1)	अवधि जिसकी छूट प्राप्त है (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (3)
नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (क)	वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम त्रैमास की विवरणी, त्रैमास की समाप्ति के 75 दिवस तक.	यदि व्यापारी, वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम त्रैमास की देयकर राशि, त्रैमास अवधि की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर जमा कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (61), दिनांक 29-8-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th August 2013

NOTIFICATION

No. F-10-01/2013/CT/V (61).— In exercise of the powers conferred by Section 15B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of registered dealers under the State Act from the operation of the provisions of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 specified in column (1) of Schedule below, subject to the restriction and conditions specified in column (3), for the period mentiond in column (2) of the said Schedule :-

SCHEDULE

Rule from the operation of which exemption is granted (1)	Period, which exemption is available (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Clause (a) of sub-rule (2) of rule 20.	Upto 75 days from the quarter end of the first quarterly return for the financial year 2013-14.	If the dealer deposits payable tax amount of the first quarter for the financial year 2013-14 within 30 days from the quarter end.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.